I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0040 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 23/11/2022 15:38 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 23/11/2022 **Time (समय):** 09:20 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 23/11/2022 15:04 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** MINAKSHI

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 26/08/1972 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	HN1385 SECT 3, MODEL TOWN REWARI, REWARI, HARYANA, INDIA

2	Permanent Address	HN1385 SECT 3, MODEL TOWN REWARI, REWARI, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9991567036

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	दीपक मलिक तत्कालीन सहायक निदे			1. औधोगिक सुरक्षा एंव स्वास्थ्य,REWARI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 02 दिनांक 22.12.2020, रेवाडी मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 06/12/2020-3 चौकसी -1 दिनांक 14.12.2020 की पालना मे महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय मे दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर उनके कार्यालय के पृष्ट क्रमांक 15991/I-2/SVB(H) दिनांक 22.12.2020 के अनुसार दर्ज रजिस्ट्रर होकर पडताल हेतु इस मण्डल मे प्राप्त हुई थी ।

2. जिसमे आरोपी यह था कि श्री आर के यादव अधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स लोटे एडवांसड मैटिरियलस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड प्लॉट न0 1, सैक्टर -5, IMT बावल रेवाडी ने बी0ओ0सी0डब्लू एक्ट मे रजिस्ट्रेशन के लिये ऑन लाईन साईट hrylabour.gov.in पर अप्लाई किया था । जिस पर असिस्टेन्ट डायरेक्टर दीपक मलिक जो कि रेवाडी ओफिस मे तैनात है ने आधारहीन आपत्ति दिनांक 31/01/2020 को जताई इसके बाद शिकायतकर्ता श्री आर के यादव, श्री दीपक मलिक से मिला और आपत्तियो के बारे मे पूछना चाहा । परन्तु कुछ बताने की बजाय शिकायतकर्ता श्री आर के यादव से ढाई लाख रुपये की मांग की जबकि शिकायतकर्ता श्री आर के यादव कोई भी पैसा नही देना चाहता था । परन्तु शिकायतकर्ता श्री आर के यादव की एप्लीकेशन पर बार-बार आपत्ति जताकर अपने पद का दुरुपयोग कर कम्पनी को इसके नतीजे भुगतने की धमकी देकर शिकायतकर्ता पर पैसो का दबाव बनाकर पहले दिनांक 25/02/2020 को सोहना रोड गुरुग्राम पर स्थित शिशुपाल विहार के पास CNG पम्प के नजदीक बुलाकर शिकायतकर्ता श्री आर के यादव के ना चाहते हुऐ भी दबाव बनाकर एक लाख रुपये लिये उसके बाद फिर दोबारा शिकायतकर्ता श्री आर के यादव पर दबाव बनाकर गुरुग्राम मे उसी जगह पर बुलाकर दिनांक 02/03/2020 को 1.5 लाख रुपये दबाव बनाकर और ले लिये । जबकि शिकायतकर्ता श्री आर के यादव, प्रतिवादी श्री दीपक मलिक को कोई भी पैसा नही देना चाहता था । परन्तु शिकायतकर्ता श्री आर के यादव पर दबाव बनाकर पैसे लिये गये है । प्रतिवादी यही नही रुका और शिकायतकर्ता श्री आर के यादव से 2.5 लाख रुपये और मागे परन्तु शिकायतकर्ता श्री आर के यादव ने कोई पैसा देने से साफ इंकार कर दिया और अपने 2.5 लाख रुपये जो शिकायतकर्ता श्री आर के यादव पहले दे चुका था वापिस मांगे क्योकि शिकायतकर्ता पैसे देकर कोई काम नही करवाना चाहता था । उसके बाद शिकायतकर्ता श्री आर के यादव दिनांक 11/03/2020 को प्रतिवादी श्री दीपक मलिक के कार्यालय रेवाडी मे गया और अपने पैसे वापिस मांगे तो उक्त अधिकारी श्री दीपक मलिक ने 2.5 लाख रुपये सी0एन0जी0 पम्प शिशुपाल विहार के नजदीक सोहना रोड, गुरुग्राम पर वापिस देने की बात कही परन्तु कोई पैसा वापिस नही दिया । शिकायतकर्ता श्री आर के यादव पैसे देकर कोई भी काम नही करवाना चाहता था । इससे सम्बन्धित पैसे के लेन – देन बारे जो भी बातचीत हुई उसकी सी0डी0 रिकार्डिग साथ संलग्न है ।

3. इस जांच की पडताल श्री रमेश कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा अमल मे लाई गई थी । जांच अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट अनुसार पाया गया कि श्री दीपक मलिक, तत्कालीन सहायक निदेशक, औधोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रेवाडी हरियाणा हाल सहायक निदेशक, औधोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, रोहतक, हरियाणा माह जनवरी 2020 से माह जुलाई 2020 तक रेवाडी कार्यरत रहा है । रिकार्ड के अनुसार 02.01.2020 को M/s Lotte Advanced Materials India Pvt.Ltd. located at Plot No. 1, Sector-5, IMT Bawal, Rewari द्वारा Bulding others construction works के सम्बन्ध मे कम्पनी का Online पंजीकरण करवाने के लिये श्री आर के यादव को अधिकृत किया गया था और श्री आर के यादव द्वारा दिनांक 27.01.2020 को उक्त कम्पनी के पंजीकरण के लिये Online आवेदन किया गया परन्तु दिनांक 31.01.2020 व दिनांक 07.02.2020 को श्री दीपक मलिक, सहायक निदेशक, औधोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रेवाडी हरियाणा द्वारा '' Form No. 1, IV BIP ठीक प्रकार से न भरने बारे एतराज लगाये गये । इसके उपरान्त दिनांक 11.02.2020 को शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा पुन: आवदेन किया । परन्तु दिनांक 16.02.2020

को प्रतिवादी श्री दीपक मलिक उपरोक्त द्वारा पुन: उपरोक्त एतराज उठाये । इसके उपरान्त एक बार फिर दिनांक 25.02.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन करने पर दिनांक 11.03.2020 को प्रतिवादी उपरोक्त द्वारा '' Form No. 1 IV.'' ठीक प्रकार से न भरने बारे एतराज लगाया गया । इसके उपरान्त दिनांक 16.03.2020 को फिर शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन करने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 20.03.2020 को फिर वही एतराज लगाया गया । जिस पर उपरोक्त कम्पनी द्वारा कोई जवाब नही दिये जाने पर प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त कम्पनी को आवेदन पर उठाये गये एतराज के बारे दिनांक 05.04.2020 को फिर Online सूचित किया गया और कम्पनी द्वारा उठाये गये एतराज के सम्बन्ध मे कोई जवाब न देने पर प्रतिवादी द्वारा दिनांक 18.04.2020 को आवेदन रदद् करने बारे Online सूचित किया गया । दिनांक 20.04.2020 को एक बार फिर शिकायतकर्ता श्री आर0 के0 यादव द्वारा कम्पनी को पंजीकरण करवाने के लिये Online आवेदन करने पर दिनांक 21.04.2020 को प्रतिवादी श्री दीपक मलिक द्वारा फिर उपरोक्त एतराज दोहराया गया । जिस पर 22.04.2020 को कम्पनी द्वारा उठे गये एतराजो बारे विस्तार से बताने के लिये आग्रह किया गया । जिस पर प्रतिवादी श्री दीपक मलिक द्वारा फार्म न0 1 की क्रम संख्या 1 व 7 खाली छोडने बारे, क्रम संख्या 2 ठीक प्रकार से न भरने बारे और फार्म 4 के अन्तिम पैरा जारी नमूना अनुसार न होने बारे कम्पनी को Online सूचित किया गया ।

4. दिनांक 08.05.2020 को शिकायतकर्ता द्वारा कम्पनी को पंजीकरण करवाने के लिये एक बार फिर Online आवेदन किया गया । परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 01.05.2020 को प्रतिवादी श्री दीपक मलिक के विरुद्ध शिकयत करने के कारण उक्त आवेदन Deputy Director, Industrial Safety Health, Gurugram –II को Transfer कर दिया गया । जिस पर दिनांक 19.05.2020 को श्री रमेश सिह, उप निदेशक द्वारा एतराज उठाते हुए विस्तापुर्वक लिखा गया कि पहले आवेदन के अनुसार श्री Mr. Sang Yoon Chae को कम्पनी के निदेशक होने के नाते एक नियोक्ता के रुप मे उल्लेख किया गया है । लेकिन अब Mr.Beam Ho Kim को नियोक्ता के रुप मे उल्लेख किया गया है । जिस पर कम्पनी द्वारा उठाये गये उपरोक्त एतराज की पुर्ति होने उपरान्त कम्पनी का आवेदन स्वीकार करके दिनांक 22.05.2020 को कम्पनी को 90 कर्मचारियो को कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हुये Online पंजीकृत प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया । दिनांक 11.06.2020 को शिकायतकर्ता उपरोक्त द्वारा कम्पनी के कर्मचारियो की संख्या बढाने के लिये पुन: पंजीकरण करवाने के लिये आवेदन किया गाय । जिस पर प्रतिवादी श्री दीपक मलिक द्वारा दिनांक 17.06.2020 से 24.06.2020 तक Online एतराज उठाये गये । दिनांक 22.06.2020 को लगाये गये उपरोक्त एतराजो की कम्पनी द्वारा पूर्ती करने उपरान्त कम्पनी के आवेदन को स्वीकार करते हुए 200 कर्मचारीयों को कार्य करने की अनुमति प्रदान करते हुए Online पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया ।

5. जांच की पडताल मे शिकायतकर्ता श्री आर. के. यादव व उतरवादी श्री दीपक मलिक द्वारा बात – चीत के दौरान प्रयोग में लाये गये मोबाईल नं0 9350640315 व मोबाईल नं0 9654430960 की दिनांक 25.02.2020 से 15.03.2020 तक काल विवरण प्राप्त की गई । जिसके अवलोकन करने से शिकायतकर्ता व आरोपी के बीच में कई बार मोबाईल से बात-चीत होनी पाई गई है । शिकायतकर्ता श्री आर, के यादव द्वारा शिकायत के साथ अपनी व प्रतिवादी के बीच में हुई बात-चीत को अपने मोबईल फोन से Voice Recording की गई है । जो कि पैन ड्राईव/सी0डी0 मे अपलोड की गई है शिकायकर्ता द्वारा की गई पैन ड्राईव व सी0डी0 के अनुसार बात-चीत के तैयार किये गये अनुवाद के अनुसार 2 व्यक्तियो के बीच मे बहस/बात-चीत हो रही है जिसमे कम्पनी को लाईसैन्स जारी करने बारे और पैसों के लेन-देन बारे बात-चीत का होना पाया गया है । जिसमे एक ब्यक्ति से अपने पैसे वापिस लोटाने बारे बार-बार कह रहा है ।परन्तु उपरोक्त बात-चीत जिन ब्यक्तियो के बीच हो रही है उनकी आवाज के बारे मे नही कहा जा सकता कि ये आवाजे किस-किस व्यक्ति की है। रिकार्ड की गई बात-चीत मे मामला रिशवत के पैसे लेने का पाया गया है । रिकार्ड की गई बात-चीत मे शिकायकर्ता व आरोपी की आवाज होने या न होने बारे अनुसंधान के दौरान उपरोक्त दोनो की आवाज के नमूना लेकर न्यायवैदिक प्रयोगशाला मधुबन से आवाज बारे रिपोर्ट प्राप्त करके पता किया जा सके ।

6. जांच अधिकारी श्री रमेश कुमार ह0पु0से0 उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौक्सी ब्यूरो गुरूग्राम द्वारा जांच की पडताल पूर्ण करके अन्तिम रिपोर्ट मे प्रतिवादी श्री दीपक मलिक, सहायक निदेशक, औधोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रेवाडी हरियाणा के विरूद् धारा 7 पी0सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करवाने के लिए अपनी अन्तिम रिपोर्ट मय़ समस्त फाईले नियमानुसार महानिदेशक, राज्य चौक्सी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय मे भेजी गई थी ।

7. मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौक्सी विभाग कार्यालय पृ0 क्रमांक 6/12/2020-3 चौक्सी -1 दिनांक 11.10.2022 की अनुपालना मे महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय के पृष्ट क्रमांक 16408/I-2/SVB(H) दिनांक 14.10.2022 के अनुसार पुलिस अधीक्षक, राज्य चौक्सी ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम मे प्रतिवादी श्री दीपक मलिक, सहायक निदेशक, औधोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, रेवाडी हरियाणा के विरूद् धारा 7 पी0सी0 एक्ट के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये है । मन निरीक्षक द्वारा तहरीर का ड्राफ्ट तैयार करके उचित माध्यम से अनुमोदन प्राप्त करने हेतू महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला कार्यालय मे भेजी गई थी । महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 16995/I-2/SVB(H) Dated 27.10.2022 के अनुसार ड्राफ्ट तहरीर अनुमोदन होने उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 133/R/IG/SVB/GGM dated 07-11-2022 के अनुसार पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम मे प्राप्त हुई है । जिसकी तहरीर मन निरीक्षक द्वारा तैयार करके अभियोग दर्ज कराने के लिये तहरीर सहित थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम मे हाजिर हूँ । प्रतिवादी श्री दीपक मलिक, सहायक निदेशक, औधोगिक सुरक्षा एवं स्वास्थय, रेवाडी, हरियाणा के विरूध धारा 7 पी0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रैट व अफसरान बाला की सेवा में बिना किसी देरी के भिजवाई जावें । अभियोग के अनसंधान के दौरान किसी अन्य व्यक्ति व कर्मचारी अधिकारी की सलिंमप्ता पाई जावे तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिया जावे । Meenakshi Insp. (निरीक्षक मीनाक्षी) अनुसंधान अधिकारी, राज्य चौकसी ब्यूरो गुरुग्राम । dt 23-11-22 at 9.20 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त ESI धर्मबीर सिह न0 247/रेवाडी के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय तहरीर बराये तपतीश महिला नि0 मीनाक्षी रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के हवाले की गई है । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई है

13.

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** MINAKSHI **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 123RWR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (**अदालत में प्रेषण की **दिनांक** और समय**):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1972				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)